

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य निबाहने के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के शेयरधारकों की 57वीं वार्षिक सामान्य बैठक 12 दिसंबर, 2023 मंगलवार दोपहर 3.00 बजे को वीडियो कॉन्फ़ेरेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यमों ('ओवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य :

1. विचार करना और अंगीकार करना

(क) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ-साथ निदेशक मंडल और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी : ए जी) की टिप्पणियाँ।

(ख) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी : ए जी) की टिप्पणियाँ।

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कर के बाद लाभ रु.11.93 करोड़ का 30% लाभांश घोषित करना।
- वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेश मंडल को प्राधिकृत करना।
- निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

विशेष कार्य

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

- निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।

“ संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (3) और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6 (2) और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अधीन बताये गए नियमों के साथ पढे, के अनुसरण में, मेसर्स मेसर्स विजेंदर शर्मा : कं. सीएमए प्राइड, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 6, क्रमांक 16/6, एरंडवाना को-ऑप एचएसजी सोसाइटी, एरंडवाना, पूणे- 411004, लागत लेखाकार, फर्म पंजीकरण नं. 000030 को देय रु.5,00,000 प्लस लागू जीएसटी और वास्तविक यात्रा और जेब खर्च की पुष्टि कंपनी एतद्वारा दी जाती है जिनको निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा आयोजित करने की ओर कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किये गये थे।

बोर्ड के आदेशानुसार
जयकृष्णन ए.आर

स्थान : तिरुवनंतपुरम

कंपनी सचिव

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 57th Annual General Meeting of the shareholders of HLL Lifecare Limited will be held on 12th December 2023 at 03.00 pm. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OVAM") to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt

- a. the audited Standalone Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2023 along with the Report of the Directors and Statutory Auditors together with comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon.
 - b. the audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2023 along with the Report of the Statutory Auditors together with comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon.
2. To declare dividend amounting to INR 11.93 Cr. being 30% of Profit After Tax for the financial year ended 31st March, 2023
 3. To authorize the Board of Directors to fix remuneration payable to the Statutory Auditors of the Company for the year 2023-24.
 4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification as an ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the requirement of Section 142(1) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to fix the remuneration payable to the Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2023-24."

SPECIAL BUSINESS:

Ratification of Cost Auditor's remuneration for the financial year 2023- 24

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification as an ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 148(3) of Companies Act, 2013, and rule 6(2) of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Company hereby ratifies remuneration of of INR 5,00,000/- plus applicable GST besides reimbursement of actual travelling and out of pocket expenses to M/s Vijender Sharma & Co, Cost Accountants, with Firm Registration No. 000180, who were appointed by the Board of Directors as Cost Auditors of the Company to conduct the audit of the cost records of the Company for the financial year ending 31st March 2024."

By the order of the Board

Jaikrishnan A R

Company Secretary

Place: Thiruvananthapuram

टिप्पणियाँ :

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (इसके बाद में 'एमसीए' के रूप में संदर्भित) ने दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 13 जनवरी 2021 और 05/05/2022, 28/12/2022, 25/09/2023 के सामान्य परिपत्र सं. क्रमशः 14/2020 & 17/2020 (बाद में सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित दिनांक 05 मई 2020 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के ज़रिए वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की अनुमति दी। तदनुसार एमसीए परिपत्र और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है। यह एजीएम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।
2. चूँकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति का परवाह न की जाती है। तदनुसार सदस्यों कंपनी द्वारा व्यवस्थित वीसी/ओएवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में भाग ले सकते हैं। कंपनी द्वारा सुनिश्चित करने के लिए यह ध्यान लिया गया है कि कंपनी द्वारा व्यवस्थित वीडियो कॉन्फ़रेन्स सुविधा सभी सदस्यों को आसानी से भागीदारी के लिए दो तरफ टेलिकॉन्फ़रेंसिंग की अनुमति देती है। सदस्यों को समवर्ती रूप से प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है या कंपनी सचिव के ई-मेल पते पर पहले से प्रश्न प्रस्तुत करेंगे।
3. बैठक में भाग लेने की सुविधा बैठक शुरू करने के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के बाद 15 मिनट की समाप्ति के बाद ही बंद किया जाएगा।
4. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के 103 के अनुसरण में सामान्य बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता, वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित सामान्य बैठक के लिए भी बढ़ा दी गयी है। इसलिए वीडियो कॉन्फ़रेन्स के ज़रिए एजीएम में भाग ले रहे सदस्यों को बैठक के कोरम के लिए गिना जाएगा।
5. बैठक के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके के संबंध में, संबंधित एमसीए परिपत्र यह निर्धारित किया जाता है कि यह कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों पर आधारित होगा या परिपत्र में दिए गए तरीके से होगा। आपकी कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी की प्रत्येक सामान्य बैठक में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेंगे। तदनुसार बोर्ड का अध्यक्ष, इस एजीएम के लिए अध्यक्ष होगा।
6. सामान्यतः, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए हकदार सदस्य को इसमें भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सि को नियुक्त करने एवं उसकी ओर से मतदान देने के लिए हकदार है और प्रॉक्सि कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों को प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता के बिना काम चलाता है और फलस्वरूप प्रॉक्सियों की नियुक्ति के लिए सुविधा इस एजीएम के लिए लागू नहीं है।
7. सांविधिक लेखापरीक्षक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कंपनी द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में भाग लेंगे।
8. जब आपकी कंपनी में सदस्यों की कुल संख्या 50 से कम है, इसलिए अध्यक्ष की सहमति से मतदान हाथ दिखाकर करने का निर्णय ले सकते हैं, जब तक कि किसी भी सदस्य द्वारा मतदान की मांग न की जाए। यदि कोई संकल्प पर बैठक के दौरान कोई मतदान किया जाना आवश्यक है तो सदस्यों को अपना मतदान कंपनी सचिव के ई-मेल आईडी secretary@ecll.com पर दे सकते हैं।
9. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, एजीएम सूचना, वित्तीय विवरणों और अन्य दस्तावेज़ों शेरधारकों के ई-मेल पते में इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए भेजे जा रहे हैं।
10. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ़रेन्स के ज़रिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया जाएगा।
11. सूचना की प्रति कंपनी के वेबसाइट पर भी पोस्ट की जाएगी।
12. किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सदस्य को व्यावसायिक घंटे के दौरान कंपनी सचिव से संपर्क कर सकता है। सदस्यों के अनुरोध पर, सांविधिक रजिस्टर/संबंधित दस्तावेज़ों का निरीक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

Notes:

1. Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA") has vide its General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read together with General Circular Nos. 14/2020 & 17/2020 dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 13th January, 2021, 05/05/2022, 28/12/2022 & 25/09/2023 respectively (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of Annual General Meeting through VC/OAVM. Accordingly, in accordance with the MCA Circulars and provisions of Companies Act 2013, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. This AGM shall be deemed to be held at the Registered Office of the Company.
2. Since this AGM is being held through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the Members can join the AGM through VC/OAVM facility arranged by the Company. All care has been taken by the Company to ensure that the video conference facility arranged by the Company allows two-way teleconferencing for the easy participation of all the Members. The Members are allowed to ask questions concurrently or shall submit the questions in advance at the email address of the Company Secretary.
3. The facility for joining the meeting will be kept open for 15 minutes before the scheduled time to start the meeting and will be closed only after the expiry of 15 minutes after such scheduled time.
4. As per the aforementioned MCA Circulars, the requirement of quorum for a general meeting in pursuance of 103 of Companies Act, 2013 has been extended for general meeting held through VC/OAVM also. Therefore, the Members attending AGM through video conference will be counted for the quorum of the meeting.
5. With regard to the manner of appointment of Chairman for the meeting, the relevant MCA circulars stipulates that either it shall be based on the provisions of Articles of Association of the Company or in the manner as provided in the Circular. As per the Articles of Association of your Company, the Chairman of the Board shall preside as Chairman at every general meeting of the Company. Accordingly, the Chairman of the Board will be the Chairman for this AGM.
6. Generally, pursuant to the provisions of the Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Company. Since this AGM is being held through VC/OAVM, the requirement of physical attendance of members is dispensed with and consequently the facility for appointment of proxies is not applicable for this AGM.
7. The Statutory auditor or his authorized representative will attend the AGM through VC/OAVM facility provided by the Company.
8. As the total number of members in your Company falls below 50, the Chairman may decide to conduct a vote by show of hands, unless a demand for poll is made by any member. If a poll is required to be taken during the meeting on any resolution, the members may convey their vote at the Email i.d of the Company Secretary at jaikrishnanar@lifecarehll.com
9. In line with the MCA Circulars, AGM Notice, financial statements and other documents are being sent through electronic mode to the e - mail addresses of the shareholders.
10. In pursuance of section 112 and section 113 of the Companies Act, 2013 representatives of the Members shall be appointed for the purpose of participation and voting in the meeting through video conference.
11. A copy of the notice shall also be posted on the website of the company.
12. For any assistance, a member may contact the Company Secretary during business hours. Upon request of members, the inspection of statutory register/related documents can be made available through electronic mode

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसरण में, सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी : ए जी) द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के तहत, लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में तय किया जाना है या ऐसे ढंग से वार्षिक सामान्य बैठक में कंपनी निर्धारित कर सकती है। सी : ए जी ने पत्र सं. सीए/वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, एच लैटेक्स (1)/ 338 दिनांक 13/09/2023 द्वारा वर्ष 2023 - 24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स श्रीधर : कंपनी, सनदी लेखाकार, श्रीनिधि, टी सी 37/275, पंचतीर्थम, नोर्थ स्ट्रीट, तिरुवनंतपुरम, केरल को नियुक्त किया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023 - 24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने की ओर निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष रखा गया है।
14. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में, विशेष कार्य से संबंधित प्रमुख तथ्यों में रखे व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

13. Pursuant to Section 139 (5) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of a Government Company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG). In terms of Section 142(1) of the Companies Act, 2013 the remuneration of auditors has to be fixed by the company in the Annual General Meeting or in such manner as the company in annual general meeting may determine. C&AG has vide letter No.CAV/COY/CENTRAL GOVERNMENT, HLATEX(1)/338 dated 13/09/2023 appointed M/s. Sridhar & Co., Chartered Accountants, Sreenidhi, TC.37/275, Padmatheertham, North Street, Trivandrum, Kerala as Statutory Auditors of the Company for the year 2023-24. Accordingly, necessary resolution has been placed before the Members for authorising the Board of directors to fix up the remuneration to the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2023-24.
14. Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies, Act, 2013 with Companies (Management and Administration) Rules 2014, setting out the material facts in respect of Special Business is annexed.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार स्पष्टीकरण विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन के अनुसरण में, विशेष व्यवसाय के लिए प्रस्तावित प्रमुख तथ्यों और कारणों को निर्धारित करनेवाले स्पष्टीकरण विवरण नीचे दिये गये हैं:

मद सं. : 4 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अधीन कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के साथ पठित व्यवहार में रहे लागत लेखाकार द्वारा आयोजित इसके लागत रिकार्ड की लेखापरीक्षा के लिए निदेश की जाती है। 28 सितंबर, 2022 को आयोजित 286 वीं बोर्ड बैठक में, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स विजेन्द्र शर्मा : कंपनी, 11, (3 वाँ तल), हरगोविंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली -110092, फर्म पंजीकरण नं. 000180 की नियुक्ति और पारिश्रमिक का अनुमोदन दिया। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 (क)(त्त) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों द्वारा लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुसमर्थन किया जाना है। तदनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए सामान्य संकल्प को पारित करने की ओर सदस्यों की अनुमति माँगती है।

बोर्ड आप के अनुमोदन के लिए उपरोक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

उपरोक्त सामान्य संकल्प में निदेशकों में से कोई या कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

सेवा में

1. सभी शेयरधारक
2. सभी निदेशक
3. सांविधिक लेखापरीक्षक
4. सचिवालयीन लेखापरीक्षक

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, the Explanatory Statement setting out material facts and reasons for the proposed Special Business is given below.

Item No: 4 Ratification of Cost Auditor's remuneration for the financial year 2023-2024

The Company is directed, under Section 148 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 to have the audit of its cost records conducted by a Cost Accountant in practice. The Board of Directors of your Company in its 286th Board meeting held on 28th September 2022 has approved the appointment and remuneration of M/s Vijender Sharma & Co, 11, (3rd Floor) Hargovind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110 092 with Firm Registration No.000180 as Cost Auditors for the financial year ending March 31, 2024. In accordance with the provisions of Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14(a)(ii) of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, the remuneration payable to the Cost Auditors has to be ratified by the members of the Company. Accordingly, consent of the members is sought for passing ordinary resolution for ratification of the remuneration payable to the Cost Auditors for the financial year ending March 31, 2024.

The Board recommends the aforesaid resolution for your approval.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is concerned or interested in the aforesaid ordinary resolution.

To

- 1. All Shareholders**
- 2. All Directors**
- 3. The Statutory Auditors**
- 4. The Secretarial Auditors**